कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : 37 /स्था./2026 दिनांक : 19-3-26

: : आ दे श : :

अध्यक्ष, पदोन्नति समिति, द्वारा निम्न आशुलिपिक ग्रेड–।। को आशुलिपिक ग्रेड–। के रिक्त पदों पर पदोन्नति दिये जाने हेतु अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 समय समय पर यथा संशोधित नियम के तहत आशुलिपिक ग्रेड–। के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता रखने के कारण पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर छः माह की अवधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन श्रृंखला **9300–34800 ग्रेड–पे 4800** लेवल एल–12 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आशुलिपिक ग्रेड–। के रिक्त पद पर पदोन्नत किया जाकर निम्नानुसार पदस्थापन किया जाता है :–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम व पद	पदोन्नति होने की दिनांक	पदस्थापन न्यायालय
1	श्री मृदुल सक्सेना,	31.05.2021	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 03, भीलवाड़ा
2	श्री विकास योगी,	31.05.2021	विशिष्ट न्यायालय, पोक्सो अधिनियम संख्या 01, भीलवाड़ा

नोट :–

01. उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे एवं नियमानुसार कर्मचारी का वेतन नियतन किया जावे। कर्मचारी को उक्त पदोन्नति का काल्पनिक लाभ पदोन्नति तिथि से तथा नकद लाभ कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

02. उपरोक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई तौर पर की जा रही है, कर्मचारियों का कार्य, व्यवहार व आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा पदों में किसी प्रकार की कमी होने अथवा किसी पूर्व कर्मचारी की पुनः नियुक्ति होने पर, कर्मचारी के किसी भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाने पर इन्हें बिना किसी नोटिस के इनके पूर्व पद पर पदावनत किया जा सकेगा।

03. उक्त कर्मचारीगण का कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन उनके वर्तमान कार्यरत न्यायालय में ही किया जा रहा है। अतः इनके नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना मूल पदस्थापन न्यायालय को प्रेषित करावे तथा संबंधित न्यायालय इनके कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस कार्यालय को अविलंब प्रेषित करावे।

04. यदि उपरोक्त कर्मचारीगण इस पदोन्नति से पूर्व पहले से ही स्वीकृत किये गये नवीन पद के वेतनमान से उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका पातेय वेतन कम नहीं किया जावेगा।

19/3/26

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

क्रमांकः स्था/2026/ 1926 to 1934 दिनांक : 19/3/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित न्यायालय आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न कर उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका मे करे एवं एक प्रति अपने अधीनस्थ सम्बंधित कर्मचारी को अपने स्तर पर दिलवाया जाना सुनिश्चित करे।

2– अध्यक्ष, पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची निर्धारण समिति

3– लेखानुभाग जिला न्यायालय भीलवाड़ा/संबंधित न्यायालय लेखानुभाग

4– सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय भीलवाडा को जिला न्यायालय भीलवाडा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

5– स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

19/3/26

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा